फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

विशेष टिप्पणी	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/4/18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल दूधली में पेश हो। (16.5.18)	बाबूलाल मीना
	16.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दूधली में पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थीगण उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दूधली ने की है। प्रार्थी का मूलवाद में प्रार्थना पत्र वाद विड्रो स्वीकार होने से दावा खारिज हो गया है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2018 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 16.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट दूधली में सबके आम में सुनाया गया। 16.5.18	नवरतनराम अं.वि. नाथूलाल प्रेमदेवी सरपंच ग्राम पंचायत दूधली पं.स. बस्सी (जयपुर)